कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 की शेष अवधि हेतु जनपद न्यायालय, गोरखपुर के मुख्यालय परिसर स्थित चाय पकौड़ी की दुकान सं.–03 (बाहरी मुख्य गेट के बाहर उत्तर की तरफ) एवं फोटोकॉपी की दुकान सं.–04 (बहुमंजिला पार्किंग में भूतल पर यूनियन बैंक के ए.टी.एम. के बगल) की नीलामी सीलबंद नीविदा के माध्यम से की जानी है। नीविदा किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर से दिनांक 08.08.2024 तक निर्धारित शुल्क मुव०–100/–रु. जमा कर प्राप्त की जा सकती है। नीविदा दिनांक 09.08.2024 तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गोरखपुर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा की जायेगी। उक्त तिथि के उपरांत कोई नीविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त नीविदाओं को न्यायालय परिसर स्थित सभागार में दिनांक 12.08.2024 को सायंकाल 04:30 बजे नीविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा। सभी नीविदादाताओं को धरोहर के रूप में मुव०–20,000/–रु. की धनराशि नगद अथवा चेक के माध्यम से नीविदा के साथ केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा। वर्तमान वितीय वर्ष 2024–25 की शेष अवधि हेतु चाय पकौड़ी की दुकान सं.–03 (बाहरी मुख्य गेट के बाहर उत्तर की तरफ) का आधार मूल्य मुव०–1,89,640/–रु. तथा फोटोकॉपी की दुकान सं.–04 (बहुमंजिला पार्किंग में भूतल पर यूनियन बैंक के ए.टी.एम. के बगल) का आधार मूल्य मुव०–2,75,000/–रु. निर्धारित किया गया है, परंतु इस वित्तीय वर्ष के चार माह व्यतीत हो जाने के कारण उक्त दोनों दुकानें शेष 08 माह के लिए नीलाम की जानी है। इसलिए शेष 08 माह हेतु चाय पकौड़ी की दुकान सं.–03 (बाहरी मुख्य गेट के बाहर उत्तर की तरफ) का आधार मूल्य मुव०–1,26,427/–रु. तथा फोटोकॉपी की दुकान सं.–04 (बहुमंजिला पार्किंग में भूतल पर यूनियन बैंक के ए.टी.एम. के बगल) का आधार मूल्य मुव०–1,83,333/–रु. निर्धारित की जाती है।

नीलामी की नियम व शर्तें इस प्रकार हैं।

1 पिछले वर्ष का बकायादार नीलामी में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।

2 नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान–पत्र तथा निवास प्रमाण–पत्र, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

3 दुकान का ठेका दिनांक 31.03.2025 तक के लिए दिया जायेगा।

4 सबसे अधिक मूल्य अंकित करने वाले व्यक्ति को ही ठेका दिया जायेगा, किन्तु जनपद न्यायाधीश, जो स्वीकृतिकर्त्ता अधिकारी हैं, को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी ठेके को निरस्त कर सकते हैं।

5 स्वीकृत निविदा वाले व्यक्ति को ठेके की कार्यवाही समाप्त होने पर स्वीकृत मूल्य की धनराशि तत्काल जमा करनी होगी। नीलामी की धनराशि जमा न किये जाने की दशा में उसकी वसूली भू–राजस्व बकाये के रूप में की जायेगी।

6 ठेकेदार द्वारा दुकान पर दर सूची बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

7 कोई भी ठेकेदार/व्यक्ति ठेके पर आबंटित दुकान जिस निमित आबंटित की गयी है, के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य या व्यापार के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा।

8 किसी ठेकेदार को स्थाई प्रकृति का निर्माण अथवा अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा तथा तय दुकान उसकी ओर से अन्य किसी को किराये पर उठाने का भी अधिकार उसे नहीं होगा।

9 नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले बोलीदाता द्वारा निर्धारित स्थान पर अतिक्रमण करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

10 ठेकेदार को दुकान के आस–पास सफाई एवं कूड़ादान इत्यादि की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी तथा गंदगी पाये जाने पर उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

11 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दुकानदार को खाली दुकान का कब्जा देना होगा अन्यथा वह प्रत्येक अतिरिक्त दिवस हेतु नीलामी राशि के 5% के बराबर प्रतिकर राशि अदा करने का उत्तरदायी होगा व इसके अतिरिक्त भी वह विधि अनुसार बेदखल होने का पात्र होगा।

12 किसी भी ठेकेदार को न्यायालय द्वारा बिजली उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। नीलामी प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा दुकान में अपने व्यय पर बिजली कनेक्शन एवं मीटर लगाना होगा एवं बिजली बिल का भुगतान बिजली विभाग को स्वयं करना होगा तथा दुकान खाली कर वापस कब्जा प्रदान करते समय यह सूचना देनी होगी कि उसके द्वारा बिजली के समस्त बकाया बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

13 यदि कोई दुकानदार किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसका आबंटन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

14 निविदा प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भाग लेने से पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध न तो कोई आपराधिक मामला पंजीकृत हुआ है और न ही कोई मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

02/8/24

(सुबोध वार्ष्णेय)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं.– 02
गोरखपुर।

3/8/24